



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
'प्रकीर्ण वर्ग'
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून



Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwd@pd@gmail.com

पत्रांक-

दिनांक: /10/2023

परिपत्र

पूर्व में, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 225/44(6(1))याता-क/13 दिनांक 21/02/2013 के माध्यम से राज्य के विभिन्न मार्गों की संयोजकता के प्रकार (Through Road/Link Road) तथा मार्ग की भौगोलिक स्थिति (पर्वतीय क्षेत्र/मैदानी क्षेत्र) के आधार पर सेतुओं के Lane Configuration का निर्णय लेने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न मार्गों, विशेषकर राज्य मार्गों पर लगातार बढ़ रहे यातायात के कारण भविष्य में प्रदेश में निर्मित राज्य मार्गों को Single/Intermediate Lane से दो लेन में उच्चिकृत किए जाने की संभावना के दृष्टिगत राज्य मार्गों पर निर्मित किए जाने वाले समस्त सेतुओं को दो लेन का बनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए, एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य के राज्य मार्गों (State Highways) पर निर्मित किए जाने वाले समस्त सेतुओं को भविष्य में दो लेन (7.50 मी0 Carriageway) तथा शहरी भागों/आबादी वाले भागों पर समस्त सेतुओं को दो लेन (7.50 मी0 Carriageway and footpath) के रूप में निर्मित किया जाए।

Signed by Deepak Kumar
Yadav

Date: 19-10-2023 13:11:59

(ई0 दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि :

1. सचिव महोदय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 29.08.2023 को आहूत बैठक में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय अधिष्ठान/नियोजन, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-I/II, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, नियोजन-I/II/III/IV, अधिष्ठान-I/II/III एवं क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वां वृत्त, लो0नि0वि0, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0मा0/ए0डीबी0 खण्ड, लो0नि0वि0..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष